



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122020-223956
CG-DL-E-28122020-223956

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4128]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2020/पौष 3, 1942

No. 4128]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2020/PAUSHA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4691(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.20 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 के कि.मी. 15.06 से कि.मी.16.57 (विजयपुरा-हुबली खंड) तक के भूखण्ड के निर्माण, (चौड़ीकरण / चार लेनिंग आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28.01.2020 " को "कन्नड दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है "1) विजय वाणी 2) होसा दिगंत और "द हिंदू" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 के कि.मी. 15.06 से कि.मी.16.57 (विजयपुरा-हुबली खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: विजयपुरा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: विजयपुरा				
	गांव का नाम: होनगनहल्ली				
1	177/1	निजी	नक्	0.1492	शिवशरण S/O गुरुपदेया हिरेमठ ()
2	178	निजी	ड्राई	0.027047	१७८ उदंडप्पा S/O भीमप्पा शैलीकेरी (१७८)
3	179	निजी	ड्राई	0.008817	१७९ अर्जुनप्पा S/O चन्द्रमप्पा पुजारी (१७९/१) नागप्पा S/O चन्द्रमप्पा पुजारी (१७९/२) (१७९)
4	203	निजी	ड्राई	0.020047	२०३ श्रीकंठ S/O राजू हजेरी, जगनाथ S/O भलाराम हजेरी (२०३/१ अ), (२०३/१ ब) (२०३)
5	204	निजी	ड्राई	0.010089	२०४ सुलोचना W/O मल्लिकार्जुन दिननि (२०४)
6	206	निजी	ड्राई	0.046842	२०६ श्रीकांत शोभा नागम्मा S/O राजप्पा श्रीदेवी W/O जगनाथ हजेरी शांतभाई W/O राजप्पा हजेरी (२०६)
7	210	निजी	ड्राई	0.071213	२१० वीणा W/O रेवन्नसिद्धप्पा सरशेट्टी (२१०)
8	211	निजी	वेट	0.054405	२११ शुभासगोडा S/O शिवनगौडा बिरादर (२११/२) (२११)
9	214	निजी	वेट /ड्राई	0.27332	२१४ सईद अलीबद्दीन S/O रहिमानसा जहागिरदार, महबूबा पाशा S/O रहिमानसा जहागिरदार, चन्दापाषा S/O रहिमानसा

					जहागिरदार , शंकरगौड़ा S/O बलवंतापपागोडा पाटिल (२१४ / १), (२१४ / २) (२१४)
10	215	निजी	बेट	0.015828	२१५बबुगौड़ा S/O भीमनगौड़ा बागली , अब्दुल रज़ाक S/O अब्दुल अज़ीज़ बागवान , ज़ैनबारूक्षाना W/O अमानउल्ला इनामदार , (२१५/ १) , (२१५/२) , (२१५/३ (२१५)
			कुल	0.676808	

[फा. सं. 12014/Karnataka(6)/2016-S&R(B)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2020

S.O.4691(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.20(E) dated 31st December 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /four laning etc.) Maintenance, management and operation of National Highway No 218 on the stretch of land from Km 15.06 to Km 16.57 (Vijayapura-Hubli section) in the district of Vijayapura in the state of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in kannada daily news papers “1)VIJAYA VANI 2) HOSA DIGANT” and english daily news paper “THE HINDU” both dated 28.01.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 15.06 to Km 16.57 (Vijayapura-Hubli section) on the National Highway No 218 in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: Vijayapura			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Vijayapura				
	Village: Honaganahalli				
1	177/1	Private	NAK	0.1492	Shivasharana S/o Gurupadayya Hiremath

2	178	Private	dry	0.027047	178 Udandappa s/o Bhimappa Shellikeri 178
3	179	Private	dry	0.008817	179 Arjunappa s/o Chandramappa Pujari , (179/1) Nagappa s/o Chandramappa Pujari (179/2) 179
4	203	Private	dry	0.020047	203 Shrikanth s/o Raju Hajeri , Jaganath s/o Bhalaram Hajeri (203/1A) , (203/1B) 203
5	204	Private	dry	0.010089	204 Sulochana w/o Mallikarjun Dinni 204
6	206	Private	dry	0.046842	206 Shrikath shobha nagamma s/o Rajappa, sridevi w/o jaganath Hajeri shantabhai w/o Rajappa Hajeri 206
7	210	Private	dry	0.071213	210 Veena w/o Revannasiddappa Sarshetti 210
8	211	Private	WET	0.054405	211 Shubhasgouda s/o Shivanagouda biradar (211/2) 211
9	214	Private	Wet / Dry	0.27332	214 Sayed Aliboddin s/o Rahimanasa Jahagirdhar , Mahibooba Pasha s/o Rahimnasa Jahagirdhar , Chandapasha s/o Rahimnasa Jahagirdhar , Shankargouda s/o Balavantappagouda patil (214/1), (214/2) 214
10	215	Private	Wet	0.015828	215 Babugouda s/o Bhimanagouda Bagali , Abdul razak s/o Abdul Aziz Bagawan , Jainabarukshana w/o Amananulla Inamadar , (215/1) , (215/2), (215/3) 215
			TOTAL	0.676808	

[F. No. 12014/Karnataka(6)/2016-S&R(B)/3D]

RAJESH GUPTA, Director